भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 50
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 21 जुलाई, 2025
30 आषाढ़, 1947 (शक)

कीझाड़ी उत्खनन के निष्कर्ष

50. थिरु दयानिधि मारन:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशिष्ट वैज्ञानिक सटीकता के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का ब्यौरा क्या है जिनके कारण कीझाड़ी उत्खनन निष्कर्षों के संबंध में तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग से एक संशोधित रिपोर्ट की मांग माँगा जाना आवश्यक हो गया;

(ख) एएसआई की वैज्ञानिक सटीकता संबंधी मानकों को पूरा करते हुए कीझाड़ी उत्खनन से संबंधित संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग को क्या समय-सीमा प्रदान की गई है;

(ग) एएसआई द्वारा 18 जून 2024 को आरंभ हुए कीझाड़ी उत्खनन के दसवें चरण के लिए प्रदान किए जा रहे अतिरिक्त उत्खनन चरणों और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है, जिनमें पहले ही छह टेराकोटा पाइपलाइनों और विभिन्न शहरी बस्तियों की संरचनाओं की पहचान की जा चुकी है; और

(घ) वैगई नदी घाटी पुरातात्विक स्थलों से जुड़े भविष्य की उत्खनन रिपोर्टों में वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एएसआई और तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग के बीच स्थापित समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग से कीझाड़ी पर किसी संशोधित रिपोर्ट का अनुरोध नहीं किया है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): वर्ष 2018 से, तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग इस स्थल पर उत्खनन कर रहा है और इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है।

(घ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा तत्संबंधी नियमावली, 1959 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी उत्खनन की अनुमति प्रदान करता है और साथ ही इस अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। यह राज्य पुरातत्व विभाग सहित किसी भी एजेंसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

*****